NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस: एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-१, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र, इंडिया

सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, के विनियमन ३२ (३) के अनुसार कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ ('असूचीबद्धता विनियम') के विनियमन ३२ (३) के अनुसार और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा २९ए के अंतर्गत बनाए गए नियमों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एक्सचेंज") के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार, एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि एक्सचेंज नीचे उल्लिखित कंपनियों को असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव करता है क्योंकि उक्त कंपनियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी प्रतिभूतियों को असूचीबद्ध करने के लिए आधार बना लिए हैं, अर्थात, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विभिन्न प्रावधानों और इस संबंध में सेबी/एक्सचेंज द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन न करने के कारण उक्त कंपनियों का प्रतिभूतियों में व्यापार छह महीने से अधिक से निलंबित रहा है।

एक्सचेंज ने एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार अंतिम ज्ञात पते और पंजीकृत ईमेल पते पर कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उक्त कंपनियों से **कारण बताने** के लिए कहा गया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड, पोद्दार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड को उसके पंजीकृत पते पर जारी कारण बताओ नोटिस १६ जुलाई, २०२५ को दिया गया था, हालांकि, सिक्योर क्रेडेंशियल्स लिमिटेड को उसके पंजीकृत पते पर जारी किया गया कारण बताओ नोटिस डिलीवर हुए बिना वापस आ गया है। एक्सचेंज रिकॉर्ड के अनुसार अंतिम ज्ञात पते के साथ कंपनियों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क्रमांक	कंपनियाँ	*कंपनी का रजिस्टर्ड पता
१.	इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड	२०१, कैलाश प्लाजा, प्लॉट नं. ए-१२, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के सामने, कार्यालय- न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०००५३, महाराष्ट्र, भारत।
२.	पोद्दार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड	यूनिट ३-६ नीरू सिल्क मिल्स, मथुरादास मिल कंपाउंड, एनएमजोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०००१३, महाराष्ट्र, भारत
३.	सिक्योर क्रेडेंशियल्स लिमिटेड	श्री कामधेनु एस्टेट ऑफिस, १०-१७, बिबम्योर स्कूल के पीछे, माइंडस्पेस ऑफ लिंक रोड, मलाड वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- ४०००६४, भारत

* पते एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध हैं ।

ध्यान दें:
अनिवार्य असूचीबद्धता के निम्नलिखित परिणाम होंगे:

- उपरोक्त कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं रहेंगी। इन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज के डिसेमिनेशन बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

- असूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ३४ के अनुसार,

१. असूचीबद्ध की गई कंपनी, इसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (एक या एक से अधिक), इसके प्रवर्तक, और इनमें से किसी के द्वारा प्रवर्तित की गई कंपनियां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक नहीं पहुंच प्राप्त नहीं बनाएंगी या किसी इक्विटी शेयर को सूचीबद्धकरने की मांग नहीं कर करेंगी या ऐसी असूचीबद्धता की तारीख से दस साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगी।

२. ऐसी कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य धनात्मक है -
a. ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरी प्रवर्तक/प्रवर्तकों के समूह द्वारा रखे गए किसी भी इक्विटी शेयर और लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभों का बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेंगे, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों पर तब तक रोक रहेगी, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रवर्तक इन विनियमों के विनियम ३३ के उप-विनियम (४) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया है;

b. अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक, और प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी तब तक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि खंड (ए) में उल्लिखित बाहर निकलने का विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है।

- असूचीबद्धता विनियमों के विनियमन ३३ के अनुसार,

१. जहां किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीबद्ध किया जाता है, वहां मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता(ओं) को नियुक्त करेगा, जो असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य का निर्धारण करेगा।

२. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं का एक पैनल बनाएगा और उक्त पैनल से, उप-विनियमन (१) के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकनकर्ता(ओं) को नियुक्त किया जाएगा।

३. डीलिस्ट किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्य, सेबी (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, २०२१ के विनियमन २० के उप-विनियमन (२) में उल्लिखित कारकों के संबंध में मूल्यांकनकर्ता(ओं) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

४. कंपनी के प्रमोटर(रों) को सार्वजनिक शेयरधारकों से उनके शेयरों को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक शेयरधारकों के विकल्प के अधीन, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग की तारीख के तीन महीने के भीतर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके डीलिस्ट किए गए इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना होगा।

५. यदि विनियमन ३३ के उप-विनियमन (३) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर, सभी शेयरधारकों को विनियमन ३३ के उप-विनियमन (४) के अंतर्गत देय मूल्य का सभी शेयरधारकों को भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रमोटर उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनिवार्य डीलिस्टिंग ऑफ़र के अंतर्गत अपने शेयर प्रस्तुत करते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित असूचीबद्धता से व्यथित हो, वह इस नोटिस के १५ कार्य दिवसों के भीतर अर्थात **१९ सितंबर**, २०२५ को या उससे पहले, एक्सचेंज की असूचीबद्धता समिति को लिखित रूप में अभ्यावेदन दे सकता है।

अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के पूर्ण संपर्क विवरण (ईमेल आईडी, पता और फोन नंबर) के साथ अभ्यावेदन(नों) को निम्नलिखित को संबोधित किया जाना चाहिए:

असूचीबद्धता कमेटी, लिस्टिंग डिपार्टमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड 'एक्सचेंज प्लाज़ा', सी-१, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१। संपर्क नंबर: +९१ २२ २६५९८९०० (३२०१४), ई-मेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in के साथ प्रतिलिपि dl-insp-enf-delisting@nse.co.in पर । अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से उपरोक्त निर्दिष्ट ईमेल पते पर ईमेल किया जाना चाहिए। किसी भी गुमनाम अभ्यावेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रवर्तक(कों) /निर्देशक(कों) के विवरण में किसी भी विसंगति के मामले में उपरोक्त टेलीफोन नंबर और ईमेल पते पर एक्सचेंज से संपर्क कर सकती हैं।

स्थान: मुंबई
दिनांक: ३० अगस्त, २०२५
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के लिए

Nifty50

SBI
ट्रांजैक्शन बैंकिंग – सोलूशन्स और विशेष परियोजना विभाग
कॉरपोरेट सेंटर, दूसरी मंजिल, मफतलाल केंद्र, नरीमन पॉइंट, मुंबई–400021
ई–मेल: dgmdebitcards.dtb@sbi.co.in वेबसाइट: https://bank.sbi, https://www.sbi.co.in

शुद्धिपत्र – 1

आरएफपी न. TB S&SP/CARDS/ASK/2025-26/01 दिनांक: 07.08.2025

कृपया कार्डों की खरीद, प्रसंस्करण और निजीकरण तथा संबंधित सेवाओं के लिए विक्रेताओं के पैनलीकरण के लिए दिनांक 07.08.2025 का आरएफपी देखें. शुद्धिपत्र और प्री–बिड प्रश्नों पर बैंक की प्रतिक्रिया अपलोड कर दी गई है और इसे बैंक की वेबसाइट **https://www.sbi.co.in / https://etender.sbi** पर प्रोक्योरमेंट न्यूज़ के तहत देखा जा सकता है।

बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : 15.09.2025 को 15:00 बजे तक

स्थान: मुंबई — उप महाप्रबंधक (कार्ड)
दिनांक: 30.08.2025 — टीबी–सोलूशन्स और विशेष परियोजना विभाग

SBI
स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन ग्रुप, कॉरपोरेट सेंटर,
द आर्केड, दूसरी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड केंद्र, कफ परेड, मुंबई – 400005

ई–नीलामी के माध्यम से पात्र खरीदारों
(अनुमत एआरसी/एनबीएफसी/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं) को
स्ट्रेस्ड लोन एक्सपोजर का हस्तांतरण

भारतीय स्टेट बैंक पात्र प्रतिभागियों से, भारतीय रिज़र्व बैंक / अन्य नियामकों द्वारा जारी लागू विनियमों के अधीन, 5 (पाँच) खाते के (एक खाता एकल आधार पर है और अन्य चार खाते पोर्टफोलियो आधार पर हैं) ₹58.74 करोड़ (मात्र अट्ठावन करोड़ चौहत्तर लाख रुपये) के मूल निधि आधारित बकाया और ₹4.80 करोड़ (मात्र चार करोड़ अस्सी लाख रुपये) गैर–निधि आधारित बकाया के स्ट्रेस्ड लोन एक्सपोज़र के हस्तांतरण हेतु 'जैसा है जहाँ है'; 'जैसा है वैसा है'; 'जो कुछ है वही'; और 'बिना किसी उत्तरदायित्व के आधार पर' ई–नीलामी के माध्यम से, रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

सभी इच्छुक पात्र प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 'रुचि की अभिव्यक्ति' के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत करें और गोपनीयता समझौते के निष्पादन के बाद, यदि पहले से ही निष्पादित नहीं किया गया है (वेब नोटिस में उल्लिखित समयसीमा के अनुसार) ई–मेल आईडी dgm.sr@sbi.co.in पर संपर्क करें. कृपया बैंक की वेब साइट https://bank.sbi पर जाएं और अधिक विवरण "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" में लिंक पर क्लिक करें (वेब नोटिस).

कृपया ध्यान दें कि बैंक किसी भी चरण पर प्रस्तावित ई–नीलामी को आगे न बढ़ाने या ई–नीलामी की तिथि अथवा किसी भी नियम व शर्तों में बिना कोई कारण बताए बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. ऐसे किसी भी बदलाव की सूचना https://bank.sbi वेबसाइट पर "SBI in the news > Auction Notices > ARC & DRT" लिंक के तहत संशोधन सूचना (Corrigendum) के रूप में दी जाएगी. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

स्थान: मुंबई — द्वारा जारी
तिथि: 30.08.2025 — उप– महाप्रबंधक (एआरसी)

उपभोग और निवेश

सरकारी पूंजीगत व्यय से निवेश को धार

शिवा राजौरा
नई दिल्ली, 29 अगस्त

देश में उपभोग में सुधार के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के 6 प्रतिशत से बढ़ कर 7 प्रतिशत हो गया। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में निजी अंतिम उपभोग व्यय पांच तिमाही के निचले स्तर पर आ गया था।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि निजी उपभोग में यह तेजी देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर खपत में सुधार का संकेत हो सकता है।

शुक्रवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निजी अंतिम उपभोग व्यय की हिस्सेदारी 60.3 प्रतिशत रही। यह पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 58.3 प्रतिशत थी।

इंडिया रेटिंग्स में सहायक निदेशक पारस जसराय का कहना है, 'एफएमसीजी क्षेत्र में बिक्री चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में बढ़कर 6 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 5 प्रतिशत रही थी। ग्रामीण इलाकों ने लगातार छह तिमाहियों तक शहरी क्षेत्रों को एफएमसीजी बिक्री के लिहाज से पीछे छोड़ दिया था। हालांकि दोनों क्षेत्रों में एफएमसीजी उत्पादों की कुल बिक्री में अंतर अब कम हो रहा है।'

जसराय ने कहा, 'इसके अलावा, आयात में तेजी संपन्न लोगों द्वारा खर्च बढ़ाने की तरफ इशारा कर रही है। यह औपचारिक क्षेत्र (निजी गैर-वित्तीय कंपनियां) में वास्तविक वेतन में मजबूत बढ़ोतरी से संभव हो पाया है। अप्रैल-जून तिमाही में औपचारिक क्षेत्र में वेतन बढ़ोतरी 7.4 प्रतिशत रही, जो पिछली आठ तिमाहियों में सर्वाधिक है। ग्रामीण वास्तविक वेतन वृद्धि भी लगातार चौथी तिमाही में मजबूत बनी रही।'

इक्रा रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि आयकर में राहत, ब्याज दरों में 100 आधार अंक की कमी, खरीफ फसलों की अच्छी बोआई और जीएसटी कर संरचना में बदलाव से निजी उपभोग बढ़ने की संभावनाओं को ताकत मिली है। जीएसटी दरों में कमी की घोषणा के बाद लोग कुछ दिनों तक खरीदारी भले टाल देंगे मगर त्योहारों के अवसर पर वे जमकर खर्च कर सकते हैं। आंकड़ों से यह भी पता चला कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। हालांकि, यह वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही की तुलना में दर्ज 9.4 प्रतिशत बढ़ोतरी से कम रही।

जीएफसीएफ को अर्थव्यवस्था में परोक्ष रूप से निवेश मांग के संकेत रूप में देखा जाता है। हालांकि, नॉमिनल जीडीपी के हिस्से के रूप में जीएफसीएफ पिछली तिमाही के 31 प्रतिशत से घट कर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में 30.4 प्रतिशत रह गया। जसरायने कहा, 'केंद्र और 25 राज्य सरकारों द्वारा पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय में 33.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे निवेश को लेकर दिलचस्पी जगाने में मदद मिली है।

निजी क्षेत्र में भी हलचल रही और इस बात का संकेत पहली तिमाही में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 9.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि से मिलता है। अब महत्त्वपूर्ण यह है कि सरकार मौजूदा वैश्विक आर्थिक हालात के बीच पूंजीगत व्यय की रफ्तार बनाए रखें और भविष्य के लिए भी अभी से पूंजीगत व्यय योजनाओं को आगे बढ़ाना शुरू कर दे।'

सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में द्वारा दर्शाए जाने वाले सरकारी खर्च में भी पहली तिमाही के दौरान 7.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछली तिमाही में यह बढ़ने के बजाय कम हो गई थी।

अर्थव्यवस्था

'अधिक देर तक नहीं टिकेगा अमेरिकी शुल्क का असर'

सीईए ने कहा, 6.3 से 6.8 प्रतिशत दर से बढ़ेगी जीडीपी

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 29 अगस्त

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरों के प्रभाव में आने के बाद देश में उपभोग मांग में बढ़ोतरी हो सकती है। नागेश्वरन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क का असर काफी कम समय तक के लिए रहेगा।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़े आने के बाद ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'अनिश्चित वैश्विक हालात के कारण पूंजी सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मगर इससे निपटने के लिए देश के उद्योग जगत ने अमेरिकी शुल्कों से होने वाले असर का एक हिस्सा वहन करने की रणनीति तैयार की है। इसके साथ ही इन शुल्कों से बढ़ने वाली लागत भी साझा करने की व्यवस्था की जा रही है। हम निर्यात के लिए दूसरे बाजारों में निर्यात की संभावनाएं तलाशेंगे।'

नागेश्वरन ने कहा कि फिलहाल पुख्ता तौर पर यह अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि अमेरिकी शुल्कों से भारत की आर्थिक वृद्धि पर कितना असर होगा मगर इतना तो तय है कि अनिश्चितता दूर एवं चुनौतियों का समाधान निकाल कर आने वाली तिमाहियों में देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दी जा सकती है। उन्होंने कहा, 'देश में समग्र स्तर पर मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगी।'

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जीएसटी दरों में संशोधन की घोषणाओं के बाद वैकल्पिक मांग में आई किसी कमी की भरपाई जीएसटी परिषद की बैठक बाद सितंबर तक आसानी से हो जाएगी। उन्होंने कहा, 'त्योहार शुरू होने में अभी थोड़ी देर है इसलिए उपभोग बढ़ने की गुंजाइश भी काफी है। सितंबर में उपभोग में तेजी आने की उम्मीद है।'

नागेश्वरन ने कहा कि शुल्क से जुड़े जोखिमों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.8 प्रतिशत दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है लेकिन अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाए जाने से वृद्धि अनुमान थोड़ा इधर-उधर हो सकता है। उन्होंने कहा, 'भारत और अमेरिका दोनों अतिरिक्त 25 प्रतिशत हटाने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं।' नागेश्वरन ने कहा, 'अमेरिका द्वारा लगाए गए जवाबी आयात शुल्क के बावजूद पहली तिमाही में मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज होने के बाद हम चालू वित्त वर्ष में जीडीपी दर 6.3 से 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार रख रहे हैं।'

इसके अलावा, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने कहा कि देश के जीडीपी वृद्धि अनुमान में बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। जनवरी में संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में भी 2025-26 के लिए वास्तविक वृद्धि दर 6.3 से 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था।

मुख्य आर्थिक सलाहकार को अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा

- **मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है लेकिन अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाए जाने से वृद्धि अनुमान पर थोड़ी प्रतिकूलता आ सकती है**
- **अनंत नागेश्वरन ने कहा कि देश के जीडीपी वृद्धि अनुमान में बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है**

कृषि

पहली तिमाही में दमदार रही कृषि क्षेत्र की वृद्धि

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 29 अगस्त

आकलन वर्ष 2025-26 में फसलों के दमदार उत्पादन की उम्मीद में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में वास्तविक रूप से 3.7 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। एक साल पहले की समान तिमाही में यह 1.5 फीसदी की दर से बढ़ा था।

किसी भी वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही (पहली तिमाही) आमतौर पर खेती और संबंधित गतिविधियों के लिहाज से कमजोर अवधि मानी जाती है और अनुमान मोटे तौर पर उस वित्त वर्ष के लक्ष्य, पिछले आकलन वर्ष (यहां 2024-25) के तीसरे अनुमानों के साथ-साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख पशुधन उत्पादों के गर्मी के मौसम के अनुमानों और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए मछली उत्पादन के अनुमानों के आधार पर संकलित किए जाते हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कृषि में पहली पहली तिमाही के पहले अनुमान के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों पर भी विचार किया गया है।

नॉमिनल संदर्भ में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए जीवीए वृद्धि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 3.2 फीसदी रहने की उम्मीद है, जो एक साल पहले की इसी तिमाही में 7.5 फीसदी थी।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, '3.7 फीसदी की कृषि वृद्धि दर मुख्य तौर पर बची हुई रबी फसल के कारण है, जो इस साल की खरीफ फसलों को कवर नहीं करेगी और इसका प्रभावी तीसरी तिमाही के आंकड़ों (थोड़ा बहुत दूसरी तिमाही में भी) में देखने को मिलेगा।'

क्रमिक रूप से, अनुमान दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए जीवीए वृद्धि बीते तीन तिमाहियों के बराबर रह सकती है। आगे चलकर, मॉनसून के दमदार प्रदर्शन के आधार पर 2025-26 में मजबूत खरीफ उत्पादन के चलते आने वाली तिमाहियों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि बेहतर रहने का अनुमान है।

उल्लेखनीय है कि 1 जून से 29 अगस्त तक भारत के सभी हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून कुल मिलाकर सामान्य 6 फीसदी अधिक रहा है, जिसमें दक्षिण भारत में 10 फीसदी, मध्य भारत में 9 फीसदी और उत्तर पश्चिम भारत में 25 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। इस अवधि के दौरान सिर्फ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 18 फीसदी कम बारिश हुई है।

नतीजतन, 22 अगस्त तक खरीफ फसलों की बोआई 10.73 करोड़ हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 35.4 लाख हेक्टेयर अधिक है। समीक्षाधीन अवधि में एक साल पहले के मुकाबले धान ने 29 लाख और मक्का ने 11.8 लाख अतिरिक्त क्षेत्रों को कवर किया है।

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 30 प्रतिशत तक पहुंचा

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 29 अगस्त

चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का लगभग 30 प्रतिशत तक पहुंच गया। शुक्रवार को लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान दर्ज 2.8 लाख करोड़ रुपये से 17.2 प्रतिशत बढ़कर 4.7 लाख करोड़ रुपये हो गया।

वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-जुलाई अवधि में शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमानों का 23.3 प्रतिशत रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसमें 27.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

ईवाई इंडिया में मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीवास्तव ने कहा, 'आने वाले समय में निर्यात के लिए चुनौतियां बरकरार रह सकती हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार को पूंजीगत व्यय कर राजस्व बढ़ाकर समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय उपाय जारी रखने होंगे।' विशेषज्ञों ने कहा कि कर दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने और प्रतिकूल आधार के कारण जुलाई 2025 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह में गिरावट के कारण उक्त महीने में सकल कर राजस्व का आंकड़ा फिसल गया।

महालेखा नियंत्रक के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जुलाई अवधि में शुद्ध कर राजस्व में 7.5 प्रतिशत की कमी आई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अनुमान से अधिक लाभांश मिलने से गैर-कर राजस्व में सालाना आधार पर 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-जुलाई अवधि में पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों का 30.9 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.7 प्रतिशत अधिक है।

अप्रैल-जुलाई की अवधि में राजस्व व्यय वित्त वर्ष 2026 के बजट अनुमानों का 30.8 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।

इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'वित्त वर्ष 2025 का बजट जुलाई 2024 में पेश किया गया था जिससे शेष महीनों में व्यय में काफी तेजी देखी गई थी। इसे देखते हुए आने वाले महीनों में सालाना आधार पर वृद्धि दर कम रह सकती है। पूंजीगत व्यय अब वित्त वर्ष 2026 के शेष आठ महीनों में 2 प्रतिशत तक घट सकता है मगर तब भी भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है।'

इक्रा का अनुमान है कि सरकार के पास वित्त वर्ष 2026 में 0.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की गुंजाइश है जिनका इस्तेमाल वित्त वर्ष 2026 के बजट अनुमान से इतर पूंजीगत व्यय बढ़ाने, निर्यातकों को आर्थिक राहत देने या अप्रत्यक्ष करों में कमी की भरपाई करने में हो सकता है।

चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में सरकार का कुल व्यय बजट अनुमानों का 30.9 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत से अधिक है।

वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-जुलाई अवधि में शुद्ध कर राजस्व बजट अनुमानों का 23.3 प्रतिशत रहा, पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसमें 27.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ

पृष्ठ 1 का शेष

जीडीपी वृद्धि दर 7.8 फीसदी रही

व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार और प्रसारण सेवाओं का प्रदर्शन पहली तिमाही में 8.6 फीसदी बढ़ा, जो आठ तिमाही में सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र चार तिमाही में सबसे अधिक 7.7 फीसदी बढ़ा। श्रम बहुल निर्माण क्षेत्र की वृद्धि 9 तिमाही में सबसे कम 7.6 फीसदी रही। जून तिमाही में कृषि उत्पादन में 3.7 फीसदी का इजाफा हुआ जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में दर्ज की वृद्धि की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में निर्यात बढ़ा था मगर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह फिर से घट गया।

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में निजी खर्च की वृद्धि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही की तुलना में 7 फीसदी बढ़ी है जो बेहतर ग्रामीण मांग को दर्शाती है। सरकारी व्यय 7.4 फीसदी की दर से बढ़ी, जिसे कम आधार का फायदा मिला। सकल स्थिर पूंजी निर्माण के आधार पर मापी गई निवेश मांग में 7.8 फीसदी की मजबूत वृद्धि दिखी जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की बदौलत रही।

इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'आयकर में राहत, रीपो दर में 100 आधार अंक की कटौती, खरीफ की बोआई में अच्छी प्रगति और वस्तु एवं सेवा कर में सुधार जैसे घटनाक्रम से निजी खपत के परिदृश्य को बढ़ावा मिला है, भले ही परिवारों द्वारा गैर-जरूरी खरीद को दूसरी तिमाही में तब तक के लिए टाला जा सकता है, जब तक कि जीएसटी में कटौती लागू नहीं हो जाती। इसके अलावा अमेरिकी शुल्क से प्रभावित क्षेत्रों में संभावित छंटनी का भी थोड़ा असर दिख सकता है।'

आनंद राठी वेल्थ के मुख्य अर्थशास्त्री सुजन हाजरा ने कहा कि भारतीय निर्यात पर 50 फीसदी अमेरिकी शुल्क महत्त्वपूर्ण जोखिम बना हुआ है, फिर भी भारत निराशाजनक वैश्विक पृष्ठभूमि में सबसे आकर्षक वृहद आर्थिक गाथा के साथ खड़ा है, जिसमें सुधारों को गति मिल रही है और महंगाई मामूली बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा, 'शुल्क संबंधी अड़चनों को ध्यान में रखने के बाद भी पूरे साल के लिए वृद्धि औसतन 6.5 फीसदी रहने की संभावना है।'